

कार्यालय मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
रेरा भवन, अरेरा हिल्स, मेन रोड नं.-1 भोपाल-462011
(कार्यालय दूरभाष-0755-2557955,2556760)

क्रमांक: 215/रेरा/लेखा/

भोपाल, दिनांक: 19/जुलाई/2017

प्रति,

आयुक्त
मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं
अधोसंरचना विकास मण्डल
भोपाल

विषय:-

रेरा में ऑन लाईन पंजीयन में कठिनाई विषयक।

संदर्भ:-

आपका पत्र क्रमांक 3123/नि.स/लेखा/दिनांक 12/07/2017

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। रera अधिनियम के प्रावधान अनुसार आवटियों से प्राप्त राशि पृथक खाते में रखने के प्रावधान के तहत, मण्डल द्वारा विभिन्न जिलों के भू-संपदा परियोजनाओं के लिए संधारित किये जाने वाले खाते मुख्यालय स्तर पर रखने हेतु सहमति इस शर्त पर दी जाती है कि मण्डल को प्रत्येक परियोजना के लिए अलग से लेखे संधारित करना होगा।

चालू परियोजनाओं के लिए भी अनुपातिक राशि उपरोक्त खाते में रखना होगा तथा पृथक से लेखे संधारित करना होगा।

मा. अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित

सचिव

म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

652/112
20/7/17

AHC-I/CAO

विषय:-

रेरा में ऑन लाईन पंजीयन में कठिनाई विषयक।

संदर्भ:-

आपका पत्र क्रमांक 3123/नि.स/लेखा/दिनांक 12/07/2017

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। रera अधिनियम के प्रावधान अनुसार आवटियों से प्राप्त राशि पृथक खाते में रखने के प्रावधान के तहत, मण्डल द्वारा विभिन्न जिलों के भू-संपदा परियोजनाओं के लिए संधारित किये जाने वाले खाते मुख्यालय स्तर पर रखने हेतु सहमति इस शर्त पर दी जाती है कि मण्डल को प्रत्येक परियोजना के लिए अलग से लेखे संधारित करना होगा।

चालू परियोजनाओं के लिए भी अनुपातिक राशि उपरोक्त खाते में रखना होगा तथा पृथक से लेखे संधारित करना होगा।

मा. अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित

सचिव

म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

mr. Jaji
AO (M)

CAO
21/7

AO-3729
21/7/17